न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या– 227/2026
परिवाद वाद संख्या– 105सी/2019

मो0 दिलावर हुसैन.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

07-04-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक/अभियुक्त मो0 दिलावर हुसैन की ओर से परिवाद वाद संख्या– 105सी/2019, अंतर्गत धारा 498(A) भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 10.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार ठाकुर एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद अभियोगिनी बीबी दौलती परवीन के अनुसार यह है कि उसकी शादी मो0 दिलावर हुसैन से दिनांक 24.04.2017 को हुई है। शादी में अभियोगिनी के माता–पिता द्वारा करीब 2,50,000 रूपया का सामान दिया गया एवं मोटरसाईकिल के लिए 85,000 रूपया दिया गया था। एक सप्ताह के बाद से ही अभियुक्तगण एकमत होकर अभियोगिनी से दहेज में दो लाख रूपया एवं अन्य सामान का मांग करने लगे। दहेज का मांग पूरा नहीं होने पर अभियोगिनी को गाली–गलौज करते हुए मारपीट किया तथा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। दिनांक 01.01.2019 को अभियुक्तगण अभियोगिनी को मारपीट कर धक्का देकर घर से निकाल दिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियोगिनी का पति है। आवेदक को ग्रामीण राजनीति एवं पारिवारिक विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक अपनी पत्नी को पूर्ण गरिमा एवं सम्मान के साथ रखने को तैयार है। आवेदक कभी भी अपनी पत्नी से किसी प्रकार का कोई दहेज का मांग नहीं किया है। आवेदक दिनांक 10.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला परिवाद पर आधारित है। आवेदक परिवादिनी का पति है। आवेदक के विरूद्ध धारा 82 द0प्र0सं0 की आदेशिका जारी की गई, तब आवेदक न्यायालय में समर्पण किया है। आवेदक अपनी पत्नी को ससम्मान ले जाने को तैयार है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप मात्र तीन वर्ष से दंडनीय है। यह वैवाहिक विवाद का मामला है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन इस शर्त के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि वह आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा। आवेदक द्वारा मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।